

फर्द अहकाम

श्यामलाल बनाम प्रहलाद व अन्य

29/11/2024

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
27.11.2024	<p>वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र वाकत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया, रिपोर्ट सरिस्ता तलब हो चुकी है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र एवं विवादित आराजीयात के राजस्व रिकार्ड की छायाप्रतियाँ पेश की हैं। वकील प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पर वहस वकील प्रार्थीगण व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण को रजिस्टर नोटिस जारी किया जावे। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर 04.12.2024 को पेश हो।</p>	
4/12/24	<p>उपखण्ड अधिकारी जयपुर जिला (सांगानेर)</p> <p>पत्रावली पेश हुई। पीओओ सांगानेर अन्य सज्ज काय में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 18/12/24 को पेश है।</p>	
18/12/24	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं। वक्त सरलत प्रार्थी व उनके अधिवक्ता के कार-कार आपाज आगवर्त जहाँ। प्रार्थी व उनके अधिवक्ता श्री मोट के कोई उपस्थित नहीं देखे ले प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मध्य दर्जरी अफस पेश से तबालि किया जाता है पत्रावली केकल शुमार है, दर्ज नम्बर के फग दे काड लेकलिय प्रालिय दर्जत है।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी जयपुर जिला (सांगानेर)</p>	